बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 192127 पटना, दिनांक:- 15/07/2014

ग्रा0वि0-7(5)/इं0आ0यो0(लक्ष्य)-102-19/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
भोजपुर ।

विषय:- **इंदिरा आवास के लाभार्थियों को मृत्यु के पश्चात् द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान की व्यवस्था के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-402 दिनांक-02.06.14

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा इंदिरा आवास के लाभार्थी के मृत्यु के पश्चात् द्वितीय किस्त की सहायता राशि का भुगतान करने संबंधी मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास के लाभार्थी को मृत्यु के बाद आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अग्रेतर किस्त की राशि का भुगतान उनके पति/पत्नि या आश्रित को करने के संबंध में निम्न रूप से की जायेगी :-

(1) मृतक लाभान्वित यदि पुरूष हो तो बकाया राशि का भुगतान उसके पत्नी को किया जा सकता है ।

(2) मृतक लाभान्वित यदि महिला हो तो बकाया राशि का भुगतान उसके पति को किया जा सकता है ।

(3) पति एवं पत्नी के जीवित नहीं होने के स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया गया हो तथा उत्तराधिकारी के रूप में लाभ पाने के बाद आगे इंदिरा आवास का लाभ देय नहीं होगा ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू) 15/7/14
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 192127 पटना, दिनांक:- 15/07/2014

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
14/7/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1074.doc